(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 16/2019-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून, 2019

सा.का.नि. (अ),- जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 7, 28 और 38 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाना जरूरी है ।

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती हे कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, -

(1) अध्याय 7 में, टैरिफ मद 0713 40 00 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "50%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) अध्याय 28 में, टैरिफ मद 2810 00 20 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "27.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3) अध्याय 38 में, टैरिफ मद 3822 00 90 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "30%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फाइल संख्या 341/15/2018-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार